पत्रांक :–1 / यो.1– उ0शि0 / RUSA-01 / 2015 ......371/ ....

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

अतिरिक्त राज्यांश

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28/03/2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अवयव –7 अंतर्गत स्वीकृत डोरण्डा कॉलेज, राँची के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 2,00,00,000 / – (दो करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति में रू0 51,52,634 / – (एकावन लाख बावन हजार छः सौ चौतीस रूपये) मात्र के अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 2,51,52,634 / – (दो करोड़ एकावन लाख बावन हजार छः सौ चौतीस रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 3087(नि0) दिनांक 18.12.2024

आदेश – स्वीकृत।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" संचालित है। इस योजना द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Access, Equity & Quality प्राप्त किया जाना है।

2. वर्तमान में झारखण्ड राज्य का सकल नामांकन अनुपात 20.9 % है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 27.1% है। जहाँ तक छात्राओं के सकल नामांकन अनुपात का प्रश्न है, राज्य के छात्राओं का नामांकन दर 20.9% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 27.3% है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराया जाय जिससे नामांकन दर में अपेक्षित वृद्धि हो सके तथा छात्र–छात्राओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो। राज्य सरकार इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है।

3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) के 11वीं बैठक में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रति महाविद्यालय 2.00 करोड़ मात्र की दर से योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें डोरण्डा कॉलेज, राँची भी सम्मिलित है।

4. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 2627(नि0) दिनांक 01.11.2023 के द्वारा Estimate No.- 545/T.S/H.E/JSBCCL/2023-24, Page- 217 dated 12.09.2023 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अवयव –7 अंतर्गत स्वीकृत डोरण्डा कॉलेज, राँची के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रु0 1,91,52,634 / – (एक करोड़ एकानवे लाख बावन हजार छः सौ चौतीस रूपये) मात्र के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त डी0 पी0 आर0 पर दिनांक 27.02.2024 को आहूत डी0पी0आर0 समिति की बैठक में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का अनुशंसा किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अवयव –7 अंतर्गत स्वीकृत डोरण्डा कॉलेज, राँची के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 2,00,00,000 / – (दो करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति में रू0 51,52,634 / – (एकावन लाख बावन हजार छः सौ चौतीस रूपये) मात्र के अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 2,51,52,634 / – (दो करोड़ एकावन लाख बावन हजार छः सौ चौतीस रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है –

कमांक	अव्यव	राशि
1	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	2,00,00,000 / –
2	JSBCCL द्वारा योजना पर व्यय की जाने वाली राशि	1,40,00,000 / –
3	योजना पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा किये जाने वाले व्यय की राशि	60,00,000 / –
4	प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में केन्द्रांश की देयता	1,20,00,000 / –
5	प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में राज्यांश की देयता	80,00,000 / –
6	राज्य मद से वहन की जाने वाली अतिरिक्त राज्यांश की राशि	51,52,634 / –
7	कुल राज्यांश की राशि (5+6)	1,31,52,634 / –
8	उक्त योजना में निगम द्वारा व्यय किये जाने वाली कुल राशि (2+5)	1,91,52,634 / –
9	उक्त योजना में कुल पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (3+8)	2,51,52,634 / –

6. इस योजना का कार्यान्वयन SHEC के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

7. इस स्कीम के लिए भवन निर्माण से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची की होगी तथा Procurement से संबंधित कार्रवाई राज्य परियोजना निदेशालय/ महाविद्यालय द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

8. विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024–25 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष –

(क) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान

(ख) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान एवं

(ग) मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–79– केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान– (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान मद में किये गये बजट उपबंध से की जायेगी।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNDEN046) एवं श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

10. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
राज्यांश 108/बजट दिनांक 16.08.2017, 263/बजट दिनांक 07.12.2018 एवं 416/बजट दिनांक 06.01.2022 केन्द्रांश 109/बजट दिनांक 16.08.2017, 264/बजट दिनांक 07.12.2018 एवं 415/बजट दिनांक 06.01.2022	2,00,00,000/–	1,69,60,787/–

12. सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन RUSA के मार्गदर्शिका, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार एवं समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में किया जाएगा। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक RUSA की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होगी।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी हेतु विपत्र **(Fully Vouched Claim Bill)** तैयार करने के पूर्व अपने स्तर से PWD Code के सुसंगत नियमों के आलोक में संतुष्ट होने के पश्चात् ही विभाग को समर्पित करेंगे।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

19. वित्त विभाग का पत्रांक 514/वि0 एवं 517/वि0 दिनांक 04.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के मार्च माह में निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा को क्षान्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

28/3/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/यो.1– उ0शि0/RUSA-01/2015 371/452 राँची, दिनांक– 28/03/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/यो.1– उ0शि0/RUSA-01/2015 371/452 राँची, दिनांक– 28/03/2025

प्रतिलिपि –विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (रूसा)/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।